JHALSA

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः **08.03.2025**

<u>नालसा के निर्देश पर झालसा द्वारा वर्ष</u> 2025 **<u>का पहला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।</u>**

वादों के निस्तारण में अधिवक्ताओं व मध्यस्थों की भूमिका अहम: माननीय न्यायमूर्ति एस.एन.प्रसाद

- **कुल** 1870657 **वादों का निष्पादन हुआ**, **जिसमें कुल लंबित वाद** 146918 **एवं प्री-लिटिगेशन के** 1723793 **मामले शामिल हैं साथ ही** 8085028598 **करोड़ राशि की हुई सेटलमेंट।**

रांची: आज दिनांक 08.03.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन माननीय न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची श्री सुजित नारायण प्रसाद के द्वारा कॉन्फ्रेंश हॉल, व्यवहार न्यायालय, रांची से किया गया। उदघाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति झारखण्ड उच्च न्यायालय-सह-कार्यपालक अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची श्री सुजीत नारायण प्रसाद, सदस्य सचिव, झालसा, कुमारी रंजना अस्थाना उपस्थित थीं । राष्ट्रीय लोक अदालत के कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि ने अधिक-से-अधिक वादों का निस्पादन लोक अदालत के माध्यम से करने पर जोर दिया।

इस कार्यक्रम में न्यायायुक्त श्री दिवाकर पांडेय, उपायुक्त रांची, श्री मंजुनाथ भजंत्री, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, श्री एस. एस. फातमी, वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश-1, कुटुम्ब न्यायालय, श्रीमती संजीता श्रीवास्तव, समेत अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, व्यवहार न्यायालय, रांची के न्यायिक

पदाधिकारीगण एवं सिनियर सुप्रिन्टेंडेंट पोस्ट ऑफिस, उदयभान सिंह, डॉ० नितिन शरण उपस्थित थे। रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री शम्भु प्रसाद अग्रवाल, महासचिव, श्री संजय कुमार विद्रोही भी अन्य विद्वान अधिवक्ताओं के साथ उपस्थित थे।

माननीय झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद ने लोक अदालत को त्वरित और सुलभ न्याय का माध्यम बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में राष्ट्रीय लोक अदालत का उदघाटन झालसा से होता था, आज व्यवहार न्यायालय, रांची से हो रहा है, यह पहला अवसर है और आगे भी उदघाटन कार्यक्रम डालसा से करने का हमारा प्रयास होगा। मध्यस्थता के माध्यम से वादों का निस्तारण कर वादकारियों को लाभ पहुंचाना है, ताकि वादकारियों के धन व समय का बचत हो। उन्होंने व्यवहार न्यायालय, रांची में लगाये गये सभी स्टॉल का मुआयना भी किया। व्यवहार न्यायालय परिसर में खोले गये रिनोवेटेड पोस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का फीता काटकर उदघाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान लोक अदालत में लाभुकों के बीच माननीय न्यायमूर्ति ने चेक का वितरण भी किया। माननीय न्यायमूर्ति, अन्य अतिथियों के द्वारा भी राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर लाभुकों के बीच चेक का वितरण किया गया। माननीय न्यायमूर्ति ने बनाये गये सभी बेंचों का भी अवलोकन किया।

सदस्य सचिव, **कुमारी रंजना अस्थाना** ने स्वागत भाषण में कहा कि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के मार्गदर्शन में झालसा ने कई मुकाम हासिल किये हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय के निर्देश पर ही राष्ट्रीय लोक अदालत का वर्चुअल उदघाटन व्यवहार न्यायालय, रांची से किया जा रहा है। यह गौरव की बात है।

माननीय न्यायायुक्त श्री दिवाकर पांडे ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि वादों के निस्तारण का सुलभ माध्यम है, लोक अदालत। आगे उन्होंने कहा कि माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के निर्देश पर पिछले वर्ष लंबित वादों के निस्तारण में हम लोग अव्वल रहे, यह गौरव की बात है।

रांची जिला बार एसोसएिशन के महासचिव श्री संजय विद्रोही ने अपने संबोधन में महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। उन्होंने महिलाओं को हमेशा सम्मान देने की बातें कही।

उपायुक्त, **श्री मंजुनाथ भजंत्री** ने कहा कि लोक अदालत एक मंच हैं, जहां गरीबों और असहाय लोगों के वादों का निस्तारण निःशुल्क होता है। आगे उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाये जा रहे मईयां सम्मान योजना के बारे में विस्तार से बताया।

यह भी ज्ञात हो कि महिला दिवस के शुभ अवसर पर सभी वक्ताओं ने भी अपने-अपने मंतव्य रखे और महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया। इस अवसर पर महिला अधिवक्ताओं एवं न्यायिक पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया तथा स्कूलों के छात्राओं को डालसा द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार भी वितरित किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए झालसा के द्वारा लगभग **294** बेंच का गठन किया गया था।